

निविदा शुल्क: राशि रूपए 1000 /—एक हजार रूपए

लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, बरखेड़ा पठानी, भोपाल परिसर में स्थित संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय “जहां है—जैसा है” के मासिक लीज रेंट (आउटसोर्स) आधार पर संचालन के संबंध में निविदा का पुनः आमंत्रण

तकनीकी एवं वित्तीय निविदा ऑनलाइन प्रस्तुत करने की
अंतिम दिनांक 27 / 12 / 2022, समय अपराह्न 4.00 बजे तक



लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी—पार्क)
वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल
(प्रधान कार्यालय—म.प्र.राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित)
फोन : 0755- 2970629, 2970630
Website: www.vindhyaherbals.in, Email: mfpparc@gmail.com

निविदा आमंत्रण

लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, बरखेड़ा पठानी, भोपाल परिसर में स्थित संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय “जहां है जैसा है” के मासिक लीज रेंट (आउटसोर्स) आधार पर संचालन के संबंध में निविदा का ऑनलाइन आमंत्रण।

लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी-पार्क), बरखेड़ा पठानी भोपाल, जो कि म.प्र. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्या. भोपाल की एक आयुर्वेदिक औषधियों की निर्माण इकाई है। एम.एफ.पी-पार्क द्वारा विन्ध्य हर्बल्स ब्राण्ड के अन्तर्गत हर्बल एवं आयुर्वेदिक उत्पादों का प्रसंस्करण एवं निर्माण किया जाता है।

लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी-पार्क), बरखेड़ा पठानी भोपाल, के परिसर में स्थापित संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय “जहां है जैसा है” की उपयुक्त अधोसंरचनाओं, उपकरणों एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता के साथ अधिकतम मासिक लीज रेंट आधार पर संचालन हेतु इच्छुक निविदाकारों से ऑनलाइन ई-निविदाएँ/वित्तीय प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

इच्छुक निविदाकार कार्यालीन समय में एम.एफ.पी-पार्क, वन परिसर, बरखेड़ा पठानी में स्थित संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय का अवलोकन/निरीक्षण कर सकते हैं।

1. ऑनलाइन ई-निविदा से संबंधित दस्तावेज एवं विवरण म.प्र.शासन के पोर्टल <https://www.mptenders.gov.in> पर निर्धारित समय सीमा एवं अवधि हेतु उपलब्ध रहेगा।
2. इच्छुक बोलीदाता/निविदाकर्ता को ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से म.प्र.शासन के पोर्टल <https://www.mptenders.gov.in> पर निर्धारित शुल्क जमा कर पंजीयन (registration) कराना आवश्यक है।
3. निविदा दस्तावेज संस्था की बेवसाइट www.vindhyaerbals.in पर भी सन्दर्भ हेतु उपलब्ध रहेगा।

निविदा के संबंध में निर्धारित समय सारणी

कार्यविवरण	दिनांक एवं समय
ऑनलाइन निविदा प्रपत्र डाउनलोड करने का समय	08/12/2022 दिन गुरुवार सायं 5.00 बजे से 27/12/2022 दिन मंगलवार को अपराह्ण 4.00 बजे तक निविदा प्रपत्र https://www.mptenders.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा।
निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय) ऑनलाइन भरने/अपलोड करने की अंतिम दिनांक एवं समय	27/12/2022 दिन मंगलवार को अपराह्ण 4.00 बजे तक तक वेबसाईट https://www.mptenders.gov.in पर ऑनलाइन निविदा भर/अपलोड कर सकते हैं।
ऑनलाइन तकनीकी निविदा खोलने का दिनांक एवं समय	28/12/2022 दिन बुधवार को सायं 4.00 बजे से लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, बरखेड़ा पठानी भोपाल में।
तकनीकी निविदा में सफल निविदाकारों के ऑनलाइन वित्तीय निविदा प्रस्ताव खोलने का दिनांक एवं समय	तकनीकी निविदा के परीक्षण उपरांत पृथक से सूचित किया जावेगा।
निविदा प्रपत्र का शुल्क	राशि रूपये 1000/- (रु. एक हजार) का भुगतान ई-पेमेन्ट द्वारा ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य है।
ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया शुल्क	म.प्र. शासन के आनलाइन पोर्टल https://mptenders.gov.in की शर्तों अनुसार पोर्टल पर दर्शित प्रोसेसिंग फीस को निविदाकार को ई-पेमेंट द्वारा जमा करना होगा।
निविदा प्रतिभूति (ई.एम.डी.) राशि	राशि रूपये 1,00,000/- (रु. एक लाख रुपए) ई-पेमेन्ट द्वारा आनलाइन पोर्टल https://mptenders.gov.in पर जमा करना अनिवार्य है। बिना ईएमडी के निविदा मान्य नहीं होगी। अन्य किसी माध्यम से ईएमडी स्वीकार नहीं की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र
भोपाल

प्राककथन

लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी-पार्क), बरखेड़ा पठानी भोपाल, जो कि म.प्र. राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्या. भोपाल की आयुर्वेदिक औषधियों की एक निर्माण इकाई है। एम.एफ.पी-पार्क द्वारा विन्ध्य हर्बल्स ब्राण्ड के अन्तर्गत आयुर्वेदिक उत्पादों का प्रसंस्करण एवं निर्माण किया जाता है।

लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी-पार्क) वन परिसर, बरखेड़ा पठानी भोपाल परिसर में स्थापित संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय 'जहां है जैसा है' की उपयुक्त अधोसंरचनाओं, उपकरणों एवं उन्नत सुविधाओं की उपलब्धता के साथ अधिकतम मासिक लीज रेंट आधार पर संचालन हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

इच्छुक निविदाकार कार्यालीन समय में एम.एफ.पी-पार्क, वन परिसर, बरखेड़ा पठानी में स्थित संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय का अवलोकन/निरीक्षण कर सकते हैं।

2. अनिवार्य योग्यताएः: निविदा प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक अनिवार्य अर्हतायें निम्नानुसार हैं:-

1. आयुर्वेदिक डाक्टर्स (नियमित बी0ए0एम0एस0) की न्यूनतम उपाधि।
2. आयुर्वेद क्षेत्र में चिकित्सा एवं पंचकर्म संचालन का न्यूनतम 3 वर्ष का कार्यानुभव।
3. आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति बोर्ड में अद्यतन पंजीयन।

अथवा

यदि निविदाकार अर्हताधारी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सेवा संलग्न करना चाहता है तो-

- (i) आयुर्वेद चिकित्सक का नाम
- (ii) आयुर्वेदिक चिकित्सक की शैक्षणिक अर्हता
- (प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न करें)
- (iii) संबंधित चिकित्सक का सहमति पत्र। (संलग्न करें)
- (iv) आयुर्वेद क्षेत्र में चिकित्सा एवं पंचकर्म संचालन का न्यूनतम 3 वर्ष का कार्यानुभव।
- (v) आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति बोर्ड में अद्यतन पंजीयन।

3. करार अवधि

करारनामा निष्पादन की दिनांक से 5 वर्ष तक (मासिक लीजरेंट में 10% की वार्षिक वृद्धि के साथ)की करार अवधि के लिए एतद द्वारा निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। करार अवधि समाप्त होने के उपरात दोनों पक्षों की आपसी सहमति से आगामी 2 वर्ष के लिए करार अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।

4. तकनीकी निविदा-

- (i) निविदा प्रपत्र म.प्र. शासन के आनलाइन पोर्टल <https://www.mptenders.gov.in> से रु. 1000/- के ई-भुगतान से क्रय किए जा सकते हैं।
- (ii) निविदा दस्तावेज केन्द्र की वेबसाइट www.vindhyaherbals.in से भी सन्दर्भ हेतु प्राप्त किये जा सकते हैं।
- (iii) सत्यंकार राशि रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख) आनलाइन पोर्टल <https://mptenders.gov.in> द्वारा ई-भुगतान के माध्यम से जमा की जाए।
- (iv) निविदाकार को परिशिष्ट-I के अनुसार तकनीकी निविदा भरना है। निविदा शुल्क एवं सत्यंकार राशि की पावती सहित आवश्यक दस्तावेज स्कैन कर आनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है। ऐसा ना करने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

5. वित्तीय निविदा

वित्तीय निविदा आनलाइन पोर्टल <https://www.mptenders.gov.in> पर निर्धारित प्रपत्र में ही आनलाइन प्रस्तुत की जाएं। आफलाइन/भौतिक रूप से वित्तीय निविदा प्रस्तुत न की जाएं। आफलाइन/भौतिक रूप से प्राप्त वित्तीय निविदा स्वीकार्य नहीं की जाएंगी।

तकनीकी निविदा में सफल एवं योग्य पाए गए निविदाकारों के ही वित्तीय निविदा प्रस्ताव खोले जाएंगे, असफल निविदाकारों को उसके आवेदन उपरांत सत्यंकार राशि वापिस कर दी जाएगी।

6. परिशिष्ट

परिशिष्ट I से III जिनका की संदर्भ ऊपर दिया गया है तथा जो कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न है, समस्त प्रयोजनों के लिए इस निविदा सूचना के ही भाग है। अतः निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि इस अधिसूचना के साथ संलग्न परिशिष्ट I से III को ध्यान से पढ़कर व चिकित्सालय की वर्तमान स्थिति एवं उपलब्ध संसाधनों को देखकर ही निविदा में भाग लें। किसी प्रकार का संशय/शंका होने पर श्री वीरेन्द्र सिंह परमार बीएमयू लघु वनोपज संघ के दूरभाष क्रमांक 9827099528 एवं 0755-2674349 (एक्सटेंशन नम्बर-107) पर कार्यालयीन समय में पूछताछ कर दूर कर लें।

7. निविदा प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत व्यक्ति आदि-

- (i) निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों/संस्था द्वारा यह उल्लेखित किया जायेगा कि वह/वे किस हैसियत से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। (उदाहरणार्थ, संबंधित फर्म या स्वयं अथवा पूर्ण स्वामी अथवा किसी कंपनी के संचालक, संचालक अथवा सचिव के रूप में।)
- (ii) किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से निविदा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति निविदा पत्र के साथ मुख्यारनामा या उसके पक्ष में सम्यक रूप से

निष्पादित डीड या भागीदारी विलेख, जिसमें उसे यह शक्ति दी गई हो, जो यह दर्शाये कि यथास्थिति ऐसे अन्य व्यक्तियों को या फर्म को, संविदा संबंधी सभी विषयों में आबद्ध करने का उसे अधिकार है, निविदा पत्र के साथ संलग्न करेगा।

- (iii) अवयस्क, दिवालिया, अथवा वन विभाग म0प्र0 शासन/लघु वनोपज संघ द्वारा घोषित काली सूची में दर्ज व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत निविदाएं स्वीकार नहीं जावेंगी।

8. सत्यंकार की राशि—

प्रत्येक निविदा के साथ सत्यंकार की राशि निम्नानुसार देय होगी—

- (i) सत्यंकार राशि रु. 1,00,000/- (रु. एक लाख) आनलाइन पोर्टल <https://mptenders.gov.in> द्वारा ई-भुगतान के माध्यम से जमा की जाए।
- (ii) निविदा परिणाम घोषित होने के उपरांत असफल निविदाकारों उनके आवेदन उपरांत सत्यंकार राशि वापस कर दी जावेगी।
- (iii) सत्यंकार राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

9. सुरक्षा निधि:

- (i) सफल निविदाकार को इस केन्द्र द्वारा प्रेषित सूचना दिनांक से 30 कार्यदिवस में करारनामा निष्पादित करना आवश्यक है। उक्त निर्धारित अवधि में यदि करारनामा निष्पादित नहीं किया जाता है तो उस श्रेणी के द्वितीय निविदाकार को अवसर प्रदान किया जाएगा। करारनामा निष्पादन करते समय सुरक्षा निधि की राशि निम्नानुसार देय होगी—

संजीवनी आयुर्वेदिक चिकित्सालय केन्द्र, बरखेड़ा पठानी के लीज रेंट आधार पर संचालन हेतु सुरक्षा निधि के तौर पर सफल निविदाकार को राशि रुपए 3,00,000/-तीन लाख रुपए का भुगतान किसी भी अधिसूचित बैंक के डिमान्ड ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0/ बैंक गारंटी के रूप में Chief Executive Officer, MFP-PARC, Bhopal के पक्ष में जिसकी अवधि 42 माह हेतु हो जमा कराना होगा। सुरक्षा निधि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

- (ii) सफल निविदाकार द्वारा उसके आवेदन पर निविदा के साथ जमा की गई सत्यंकार राशि को सुरक्षा निधि के रूप में समायोजित किया जा सकेगा।
- (iii) सफल निविदाकार द्वारा जमा सुरक्षा राशि लीज करारनामा अवधि की सफल पूर्णता के उपरान्त वापस कर दी जावेगी। राशि की वापिसी उसी स्थिति में की जाएगी जबकि लीजधारक द्वारा चिकित्सालय भवन अथवा उससे जुड़ी किसी भी सम्पत्ति, फिक्सर को नुकसान न पहुंचाया गया हो, किसी प्रकार के नुकसान की भरपाई की प्रतिपूर्ति, सुरक्षा निधि/प्रतिभूति निक्षेप की राशि से की जाएगी, इसके उपरांत ही

वापिसी योग्य शेष राशि का भुगतान किया जाएगा अथवा म0प्र0 भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुरूप राशि की वसूली की जाएगी।

10. निविदाओं का खोला जाना—

- (i) इच्छुक निविदाकार तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएं (आनलाइन) दिनांक 27/12/2022 दिन मंगलवार को अपराह्ण 4.00 बजे तक अथवा इसके पूर्व भर/अपलोड कर सकते हैं।
- (ii) निविदा समिति द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त निविदाओं की आनलाइन तकनीकी निविदाएं दिनांक 28/12/2022 दिन बुधवार को सायं 4.00 बजे से निविदाकारों की उपस्थित में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम0एफ0पी0पार्क), बरखेड़ा पठानी, भोपाल के कार्यालय में खोली जाएगी।
- (iii) तकनीकी निविदाओं के परीक्षण उपरांत केवल तकनीकी रूप से योग्य एवं उपयुक्त पाई गई निविदाओं के ही वित्तीय निविदा प्रस्ताव खोले जाएंगे। इस हेतु सफल निविदाकारों को पृथक सूचित किया जावेगा।

11. आवंटन का निर्धारण—

तकनीकी निविदा के परीक्षण में योग्य/पात्र पाए गए निविदाकारों के ही वित्तीय निविदा प्रस्ताव खोले जाएंगे। सफल निविदाकार का निर्धारण तकनीकी रूप से पात्र निविदाकर्ता के वित्तीय प्रस्तावों में वित्तीय निविदा में प्राप्त अधिकतम मासिक लीज रेंट प्रस्ताव के आधार पर ही चयन किया जाएगा।

12. सफल निविदाकार से करारनामा का निष्पादन—

- (i) सफल निविदाकार को उसके प्रस्ताव की स्वीकृति जारी किये जाने के 30 दिनों के अंदर कंडिका (09) में निर्धारित सुरक्षा निधि एवं 3 माह के अग्रिम लीजरेंट के भुगतान के साथ परिशिष्ट-III में दिये गये प्रपत्र में करारनामा निष्पादित करना होगा।
- (iii) करारनामे का निष्पादन निर्धारित अवधि में नहीं किए जाने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.एफ.पी.-पार्क अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा आवंटन निरस्त किया जा सकेगा। निरस्तीकरण होने पर जमा की गई सत्यंकार की राशि अधिग्रहित कर ली जाएगी जिस पर किसी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा एवं निविदाकार को 3 वर्षों के लिए काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी।
- (iv) यदि सफल निविदाकार करारनामा किये जाने की समय सीमा में वृद्धि चाहता है तो उसे इस हेतु एक आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.एफ.पी.-पार्क को प्रस्तुत करना होगा जिसमें अवधि वृद्धि किये जाने का यथोचित कारण बतलाना

होगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.एफ.पी.-पार्क इस आवेदन पर विचार कर समय अवधि में वृद्धि करने का निर्णय ले सकेंगे, परन्तु ऐसा करने हेतु वे बाध्य नहीं हैं।

- (v) संजीवनी आयुर्वेदिक चिकित्सालय केन्द्र, बरखेड़ा पठानी के सुलभ संचालन हेतु आवश्यक वैधानिक पंजीयन, लाइसेंस, प्रचलित लागू कर जिसमें आयकर, जीएसटी, सम्पत्ति कर एवं अन्य आवश्यक करों के साथ-साथ बिजली, पानी इत्यादि के प्रबंध की समस्त जबाबदारी सफल निविदाकार की ही होगी।
- (vi) संजीवनी आयुर्वेदिक चिकित्सालय केन्द्र, बरखेड़ा पठानी के संचालक, उनके स्टाफ एवं मरीजों को इस केन्द्र के उत्पादन क्षेत्र में जाने पर प्रतिबंध रहेगा।
- (vii) संजीवनी आयुर्वेदिक चिकित्सालय केन्द्र के संचालक, उनके स्टाफ एवं मरीजों को इस केन्द्र के संचालन इत्यादि पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा। लीज सम्पत्ति का उपयोग रहवास के लिए नहीं किया जाएगा।
- (viii) लीजधारक/अनुबंधकर्ता को लीज पर ली जा रही सम्पत्ति का बीमा कराना अनिवार्य होगा। बीमा पालिसी की प्रति एवं देय प्रीमियम की रसीद मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, एम.एफ.पी.-पार्क, वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल को अनुबंध करने की तिथि से 1 माह में उपलब्ध करानी होगी।
- (ix) प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी-पार्क) वन परिसर, भोपाल द्वारा आवश्यकतानुसार करारनामें में कभी भी संशोधन किया जा सकता है।
- (x) लीजधारक द्वारा चिकित्सालय भवन को करारनामें में उल्लेखित कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी उपयोग में नहीं लिया जावेगा।

13. करार अवधि में वृद्धि :-

- (i) सफल निविदाकार के साथ करार की अवधि करारनामा निष्पादन के दिनांक से 5 वर्ष तक रहेगी। निर्धारित मासिक लीज रेंट में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि निर्धारित की जाएगी। यदि निविदाकार 5 वर्ष की लीज अवधि समाप्त होने के उपरांत लीज रेंट में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ निष्पादित करारनामें की अवधि में 2 वर्ष की वृद्धि चाहता है, तो उसे इस आशय का आवेदन प्रस्तुत करना होगा। अवधि में वृद्धि के प्रस्तुत आवेदन पर आपसी सहमति से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.एफ.पी.-पार्क लीज रेंट में 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए करार अवधि में वृद्धि कर सकेंगे परंतु ऐसा करना मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.एफ.पी.-पार्क के लिये अनिवार्य नहीं है।

- (ii) लीज अवधि का निर्धारण वार्षिक तौर पर किया जाएगा। एक बार वृद्धि के पश्चात बाद अग्रिम 2 वर्षों के लिये भी अवधि वृद्धि हेतु भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। प्रत्येक वर्ष मासिक लीज रेंट में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी, रूपये के भाग को आगे के पूर्णांक के बराबर किया जावेगा।
14. विद्युत एवं जल कनेक्शन का प्रबंध सफल निविदाकार लीजधारक को स्वयं करना होगा। म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ के कर्मचारी एवं उनके आश्रित आवंटन के पात्र नहीं रहेंगे।
15. नियुक्त लीज धारक/ प्रबंधक अथवा उनके कर्मचारी चिकित्सालय का उपयोग आवास अथवा अन्य कार्यों हेतु नहीं कर सकेंगे।
16. नियुक्त लीज धारक को अथवा उनके कर्मचारियों को किसी प्रकार की आवास सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।
17. **देय लीज रेंट का भुगतान –**
- (i) नियुक्त लीज धारक देय लीज रेंट का त्रैमासिक आधार पर चार समान किश्तों में अग्रिम भुगतान लीज धारक के करारनामे की शर्त क्रमांक 1 (II) के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.एफ.पी.-पार्क को डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से करेगा। भुगतान डिमान्ड ड्राफ्ट के माध्यम से ही किया जाना होगा। यह भुगतान त्रैमास समाप्त होने के 10 दिवस पूर्व करना होगा।
 - (ii) नियत दिनांक तक भुगतान न करने पर 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। किन्तु यह अवधि 60 दिवस से अधिक की नहीं होगी। 60 दिवस से अधिक होने पर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, मर्यादित, भोपालद द्वारा करारनामें को निरस्त कर, जमा अग्रिम एवं सुरक्षा निधि अधिग्रहित कर ली जावेगी एवं परिसर रिक्त करा लिया जाएगा। देय तिथि के 60 दिवस के अंदर भुगतान न करने पर लीजधारक के आवेदन पर, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा स्वविवेक से अधिकतम 30 और दिवस का अवसर दिया जा सकता है।
 - (iii) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.एफ.पी.-पार्क द्वारा करारनामें को कभी भी आवश्यकतानुसार निरस्त किया जा सकेगा। इस पर किसी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नहीं किया जाएगा।
 - (iv) प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ, भोपाल द्वारा आवश्यकतानुसार अनुबंध/करारनामे को कभी भी निरस्त किया सकेगा। इस पर किसी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। आवंटन प्रक्रिया से संबंधित समस्त पक्षों को प्रबंध संचालक, लघु वनोपज संघ, भोपाल का निर्णय मान्य होगा जोकि अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
18. निष्पादित करारनामे का हस्तांतरण नहीं किया जाएगा।

19. संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय का प्रभार:

- (i) प्रथम तीन माहों की अग्रिम किस्तों के अग्रिम भुगतान उपरांत चिकित्सालय का प्रभार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.एफ.पी.-पार्क अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा अधिकतम 7 कार्य दिवस में कर दिया जायेगा।
- (ii) हस्तांतरण के दौरान समस्त चल/अचल सम्पत्तियों/स्टाक की सूची तैयार की जाएगी जिस पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.एफ.पी.-पार्क द्वारा अधिकृत अधिकारी एवं लीजधारक के हस्ताक्षर संयुक्त तौर पर किए जाएंगे।

20. अधिनियम, नियमावली और शर्तों का उल्लंघन तथा करारनामे की समाप्ति :

ऐसे क्रेता जो किसी अधिनियम, नियमावली और/अथवा क्रेता करारनामे की किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करता है, परिणामस्वरूप उसके करारनामे को समाप्त किया जाता है, तो

- (1) नियुक्त लीज धारक को तीन वर्ष की कालावधि तक के लिए काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा।
- (2) तत्काल प्रभाव से संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय भवन को खाली करना होगा।
- (3) नियुक्त लीज धारक द्वारा जमा किया गया लीज रेंट वापस नहीं होगा।
- (4) नियुक्त लीज धारक द्वारा जमा किया गया सुरक्षा निधि को राजसात कर दिया जायेगा।
- (5) यदि भवन/इससे संबद्ध संपत्ति को नियुक्त लीज धारक के द्वारा हानि पहुंचाई जाती है तो इसकी मरम्मत व अन्य भरपाई भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत वसूल की जायेगी।

21. निबंधनों एवं शर्तों का स्वीकार करना—

इस निविदा के संदर्भ में निविदा प्रस्तुत करने के कार्य को निविदा सूचना की शर्तों एवं निबंधनों /नियमों की बिना शर्त अभिस्वीकृति समझा जावेगा।

22. अधिनियम के प्रावधान का लागू होना—

- (1) अधिनियम तथा नियमावली के समस्त तत्समय प्रवृत्त प्रावधान जहां तक कि वे संचालनकर्ताओं के ऊपर लागू होते हैं, निविदा सूचना एवं लीज रेंट करारनामे के निबंधनों तथा शर्तों के विशेषतः अभिन्न अंग हैं।
- (2) लीजधारक/अनुबंधकर्ता को नियमित रूप से संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय, प्रांगण से उत्सर्जित होने वाले कचरे के निपटान का प्रबंध, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, साफ-सफाई इत्यादि स्वयं के संसाधनों से करनी होगी।
- (3) केन्द्र के संचालन में बाल श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
- (4) कूटरचना, धोखाधड़ी एवं दुराचरण के प्रयास सिद्ध होने पर लीज समाप्त करते हुए,

सुरक्षा निधि एवं अग्रिम लीज रेंट राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।

- (6) निविदा के सम्बन्ध में किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।
- (7) न्यायालीन विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र भोपाल की अधिकारिता के अध्याधीन होगा।

23. FORCE MAJEURE

If at any time during the continuance of this agreement, the performance in whole or in part by either party of any obligation under this agreement shall be prevented or delayed by reasons of any war, hostility, acts of public enemy, civil commotion, sabotage, fire, floods, explosions, epidemics, quarantine restriction, or acts of God (herein after referred to as "eventualities") and provided notice of the happenings of any such eventuality is given by either party to other within 21 days from the date of occurrence thereof, neither party shall by reasons of such eventuality be entitled to terminate Agreement nor shall either party have any claim for damages against the other in respect of such non-performance or delay in performance. Deliverable under Agreement shall be resumed as soon as practicable after such eventuality has come to an end or ceased to exist and the decision of the Principal as to whether the deliverable have so resumed or not shall be final and conclusive. Provided further that if the performance in whole or in part of any obligations under Agreement is prevented or delayed by reasons of any such event for a period exceeding 60 days either party may at its option terminate the Agreement, by giving advance notice of 30 days to other party.

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी—पार्क)
वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल

परिशिष्ट—।

लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, बरखेड़ा पठानी, भोपाल परिसर में
संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय के मासिक लीज रेंट (आउटसोर्स) आधार पर
संचालन हेतु

तकनीकी निविदा/योग्यता निर्धारण

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र
एम.एफ.पी.—पार्क, बरखेड़ा पठानी
भोपाल—462022 (म.प्र.)

निविदा अधिसूचना क्र./संजीवनी/22/2353, दिनांक 07/12/2022 के संदर्भ में ‘संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय’ एम.एफ.पी.—पार्क परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल के आउटसोर्स संचालन हेतु मेरी/हमारी संस्था/व्यक्ति की तकनीकी निविदा निम्नानुसार है:-

1. निविदाकार/संस्था का पूरा नाम :
2. (अ.) निविदावार/संस्था के मालिक/भागीदार की शैक्षणिक योग्यता :
(प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न करें)
- (ब.) यदि निविदाकार अर्हताधारी आयुर्वेदिक चिकित्सक की सेवा संलग्न करना चाहता है तो—
 (i) आयुर्वेदिक चिकित्सक का नाम
 (ii) आयुर्वेदिक चिकित्सक की शैक्षणिक अर्हता
 (प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न करें)
 (iii) संबंधित चिकित्सक का सहमति पत्र है/नहीं
 (सहमति पत्र संलग्न करें)
3. पत्र व्यवहार पता :
- (दूरभाष तथा व्यापारिक संस्था स्थल)

4. प्रोपराईटर/भागीदार/प्रबंधक के नाम व
दूरभाष सहित पता

प्रोपराईटर

भागीदार

प्रबंधक

5. क्या निविदाकार संस्था प्रोपराईटरशिप,
भागीदार संस्था अथवा लिमिटेड कंपनी है?
(पार्टनरशिप डीड कम्पनी की पॉवर ऑफ अटार्नी की एक प्रति संलग्न करें)
6. यदि भागीदार फर्म अथवा लिमिटेड कंपनी
है तो पंजीयन क्र. एवं पंजीयन स्थल का :
विवरण भरें
7. वर्तमान व्यापार/व्यवसाय का विवरण :
आयुर्वेद चिकित्सालय/उपचार केन्द्र संचालन का अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :
9. संबंधित अन्य अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :
10. (अ.) वर्तमान व्यापार का विगत 3 वर्षों का वार्षिक टर्नओवर :
(विगत 3 वर्षों का सी0ए0 द्वारा जारी किया गया अद्यतन प्रमाणपत्र संलग्न करें।)
(ब.) पिछले 3 आंकलन वर्षों (AY 2018–19 2019–20 एवं 2020–21) हेतु जमा आयकर विवरणिका (ITR) की प्रतियां संलग्न करें।
11. यदि निविदाकार द्वारा आयुर्वेदिक उत्पाद स्वयं
बनाए जा रहे हैं अथवा विपणन किये जा रहे हैं तो
विवरण दें:
13. यदि अन्य ब्रांड के हर्बल उत्पादों का व्यापार
किया जा रहा है तो उनका विवरण :

कंपनी का नाम	उत्पादों का नाम	वार्षिक टर्न ओवर	कब से व्यापार कर रहे हैं

14. सहभागी व्यापारिक कंपनी/उद्यम का विवरण यदि हो तो :

15. पंजीयन क्रमांक:

(जीएसटी/पेन/वेट/ठिन विवरण)

16. झग लायसेंस यदि है तो, क्रमांक एवं वैधता दिनांक

17. अन्य कर/व्यापार पंजीयन का विवरण ।

18. आनलाइन भुगतान की गई सत्यंकार राशि का विवरण.....

19. आनलाइन भुगतान की गई निविदा शुल्क राशि का विवरण.....

(समस्त वांछित दस्तोवजों की सत्यापित/हस्ताक्षरित प्रतियां संलग्न करें)

निविदाकार के हस्ताक्षर
(नाम प्रोपराईटर/भागीदार)

रबर स्टाम्प

लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, बरखेड़ा पठानी, भोपाल परिसर
में संजीवनी आयुर्वेदिक चिकित्सालय के लीज रेंट आउटसोर्स आधार पर
संचालन हेतु निविदा

(केवल आनलाइन भरा जाना है)

आनलाइन

वित्तीय निविदा का प्रारूप

(Financial Bid - FORMAT, Do not Fill Offline)

प्रस्तावित मासिक लीजरेंट राशि रु.....(शब्दों में).....

(अन्य सभी कर जो कि सफल निविदाकार द्वारा देय होगें को छोड़कर)

निविदाकार के हस्ताक्षर
नाम प्रोफराईटर/भागीदार

रबर स्टाम्प

परिशिष्ट-III

लीज धारक (आउटसोर्स) का
प्रस्तावित करारनामा/अनुबंध प्रारूप

यह करारनामा/अनुबंध आज दिनांक माह वर्ष को प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी-पार्क) वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल (जो इसके पश्चात प्रथम पक्ष के नाम से निर्दिष्ट है) हैं (जहां संदर्भ में ऐसा ग्राहय हो, उसके कार्यालयीन उत्तराधिकारी, सम्मिलित-होंगे) तथा द्वितीय पक्ष के श्री आत्मज निवासी

और जो (1) श्री (2) श्री
(3) श्री के साथ स्थित जिसका नाम है तथा जो अधीन पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत कार्यालय में स्थित है, के साथ भागीदारी अथवा एकल मालिक के रूप में कारोबार कर रहे हैं, जो इसमें इसके पश्चात "संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय" एम.एफ.पी.-पार्क, वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल में स्थित है जो कि प्रथम पक्ष की चल-अचल सम्पत्ति है के लीज धारक या द्वितीय पक्ष के नाम से विनिर्दिष्ट है (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक संदर्भ में इस प्रकार ग्राहय न हो, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक और प्रशासक उक्त कंपनी/संस्था के तत्कालीन भागीदार, उसके उत्तराधिकारी सम्मिलित होंगे) के बीच किया जाता है। (उन शब्दों को काट दिया जाए जो लागू न हो।)

मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित की इकाई लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी-पार्क) वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल द्वारा "संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय" का लीज रेंट (आउटसोर्स) आधार पर संचालन करने के लिए इच्छुक आयुर्वेदिक विशेषज्ञों/ अनुभवी व्यक्तियों/ संस्थाओं से अपनी निविदा सूचना क्रमांक दिनांक के द्वारा निविदाएं आमंत्रित की गई थी, और इच्छुक लीज धारक के द्वारा "संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय" जो कि लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी-पार्क) वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल के परिसर में स्थित है और जिसको कथित निविदा सूचना क्रमांक दिनांक के परिशिष्ट में पूर्णतया वर्णित किया गया है, के लिए प्रस्तावित की गई लीज रेंट दर इसमें इसके पश्चात दर्शाये गये निबंधनों एवं शर्तों पर स्वीकार की गई है और उसे इस कथित "संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय" के संचालन के लिए को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लीज धारक नियुक्त करने के लिए सहमत हो गया है।

अब यह प्रलेख निम्नलिखित बातों का साक्षी है और संबंधित पक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित रूप से आपसी करार करते हैं:-

01. (I) लीज़ रेंट दर आदि एवं भुगतान –

यह कि द्वितीय पक्ष— “संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय” (आउटसोर्स) के संचालन के लिये रूपये (अंको में) (शब्दों में) प्रति माह की लीज रेंट दर से संचालित करेगा। लीज रेंट के अतिरिक्त द्वितीय पक्ष समय—समय पर विद्युत, जल, नगर निगम अथवा अन्य कोई भी लागू कर/उपकर भी अदा करेगा।

(II) द्वितीय पक्ष करार अवधि में देय लीज रेंट का भुगतान करारनामें के प्रावधानानुसार, चार बराबर किश्तों में निम्नांकित तिथियों के पूर्व करेगा :—

किश्त व दिनांक

प्रथम— से पूर्व
द्वितीय— से पूर्व
तृतीय— से पूर्व
चतुर्थ— से पूर्व

(III) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल द्वारा उपरोक्त तिथियों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी किया जा सकता है।

02. करों का भुगतान—

- (I) इस करार के अधीन देय कोई भी किस्त अथवा राशि तब तक दी गई नहीं मानी जायेगी, जब तक उस पर देय समस्त करों का भी भुगतान न कर दिया जाए।
- (II) द्वितीय पक्ष मध्यप्रदेश विक्रय कर अधिनियम, उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार विक्रय कर/वाणिज्यिक कर तथा वन विकास उपकर एवं अन्य करों का भुगतान बैंक/डिमांड ड्राफ्ट द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी—पार्क) वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल को करेगा।
- (III) द्वितीय पक्ष, जब तक उसे आयकर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में छूट नहीं दी गई हो, आयकर अधिनियम 1961 तथा उसके यथा संशोधित उपबंधों के अनुसार आयकर का भुगतान किसी भी अधिसूचित बैंक के पृथक बैंक ड्राफ्ट के रूप में करेगा। यथा स्थिति लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी—पार्क) को देय कथित “संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय” का लीज रेंट प्रति माह या उसके भाग का तब तक भुगतान नहीं माना जायेगा, जब तक कि उस पर देय आयकर का भी पूर्णतः भुगतान नहीं कर दिया गया हो।

03. द्वितीय पक्ष द्वारा संचालित प्रमुख गतिविधियां :

- (1) "संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय" का आयुर्वेद चिकित्सा हेतु पूर्णतः संचालन— आवेदक द्वारा चिकित्सालय में संचालित की जाने वाली गतिविधियों/उपचार के प्रकार का निर्धारण किया जाकर इस अनुबंध की दिनांक से 15 दिवस में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एम.एफ.पी—पार्क से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- (2) संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय के लीजरेंट धारक/संचालक द्वारा संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय में विन्ध्य हर्बल्स उत्पादों का ही उपयोग एवं विक्रय किया जाएगा। ऐसे समकक्ष आयुर्वेदिक उत्पाद जिनका निर्माण विन्ध्य हर्बल्स द्वारा नहीं किया जाता उनके उपयोग की अनुमति रहेगी।
- (3) यह द्वितीय पक्ष का दायित्व होगा कि संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय से संबंधित आवश्यक प्रचार—प्रसार, विज्ञापन, बोर्ड इत्यादि लगाने का कार्य करेगा।
- (4) ग्राहकों की सुविधा के लिये संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय के परिसर में विन्ध्य हर्बल्स उत्पादों से सम्बन्धित आवश्यक विज्ञापन व साइन बोर्ड भी द्वितीय पक्ष को प्रदर्शित करना होगा।
- (5) म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी—पार्क) वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल को ग्राहकों की टिप्पणियां व सुझाव इस बारे में प्राप्त करने का पूरा अधिकार रहेगा।
- (6) लीज सम्पत्ति का उपयोग आयुर्वेद चिकित्सा के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों हेतु नहीं किया जा सकेगा। चिकित्सालय के संचालन का समय एम.एफ.पी.—पार्क के संचालन में बाधाकारी नहीं होगा।
- (7) लीज सम्पत्ति परिसर में किसी प्रकार की प्रयोजन से असंबंधित एवं अवैधानिक गतिविधियों का संचालन लीज ग्राही द्वारा नहीं किया जाएगा। किसी प्रकरण में लीज परिसर में यदि इस प्रकार की शिकायत/साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो उसकी सम्पूर्ण जबाबदारी लीज ग्राही की ही होगी।
- (8) लीज सम्पत्ति का निरीक्षण/अनुश्रवण प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी—पार्क) वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल अथवा उनके द्वारा अधिकृत अमले द्वारा कभी भी किया जा सकता है।

04. बिजली, पानी आदि के बिलों का भुगतान –

- (1) द्वितीय पक्ष को आबंटित संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय का रखरखाव, साफ—सफाई, पानी एवं विद्युत उपभोग बिल इत्यादि के बिलों का भुगतान उस तिथि से करार अवधि तक करना होगा जब से द्वितीय पक्ष द्वारा संजीवनी केन्द्र को संचालन हेतु लिया गया है।

- (2) द्वितीय पक्ष को संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय की साफ-सफाई एवं छोटे मरम्मत कार्यों की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। केवल बड़े मरम्मत कार्य एवं आवश्यक होने पर ही पुताई आदि कार्य मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी-पार्क) वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल द्वारा कराये जावेंगे एवं मरम्मत के प्रकार का निर्धारण किए जाने का अधिकार पूर्णतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी-पार्क) वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल का होगा।
- (3) द्वितीय पक्ष संबंधित संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय को उसी अवस्था में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी-पार्क) वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल से जिस अवस्था में उसे निविदा करारनामा प्रारंभ होने पर दिया गया था।
- (4) विद्युत, जल अथवा अन्य कोई व्यय का भुगतान वाणिज्यिक दरों पर सफल निविदाकार के द्वारा ही किया जाएगा। द्वितीय पक्ष के भुगतान न करने की दशा में यह देय राशि प्रतिभूति जमा राशि से काटकर जमा की जावेगी। ऐसी कटौती की गई राशि की प्रतिपूर्ति सफल निविदाकार द्वारा एक माह के भीतर जमा की जावेगी।

05. संजीवनी आयुर्वेदिक चिकित्सालय में विक्रय हेतु रखी जाने वाली सामग्री :-

- (I) नियुक्त लीज धारक संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय में केवल समकक्ष विन्ध्य हर्बल्स ब्रांड के आयुर्वेदिक उत्पादों का ही विक्रय कर सकेगा। ऐसे समकक्ष आयुर्वेदिक उत्पाद जिनका निर्माण विन्ध्य हर्बल्स द्वारा नहीं किया जाता उनके उपयोग की अनुमति रहेगी।
- (II) संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय के लिये नियुक्त लीज धारक को एम.एफ.पी.-पार्क, बरखेड़ा पठानी से विन्ध्य हर्बल्स ब्रांड के उत्पाद प्राप्त करने होंगे जिस पर निर्धारित वितरक/फैंचायची को देय छूट पर प्रदान की जाएगी।
- (III) संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय में एकसपायरी औषधियों को रखना भी अनुबंध का गंभीर उल्लंघन माना जावेगा। इसके लिए नियुक्त लीजधारक ही उत्तरदायी होंगे।

06. चिकित्सकीय परामर्शदाताओं को संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय पर उपलब्ध कराना :-

सफल निविदाकार संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय में आयुर्वेद या अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धति के पंजीकृत चिकित्सकों को चिकित्सीय परामर्श हेतु संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय पर उपलब्ध करा सकेगा, परंतु ऐसे चिकित्सकों के द्वारा की जा रही चिकित्सा या दिये गये परामर्श से किसी व्यक्ति को कोई हानि पहुंचती है या उसके द्वारा प्रदान की जा रही किसी भी सेवा से संबंधित विवाद उत्पन्न होते हैं तो उसके लिये सफल निविदाकार लीजधारक/संचालक ही उत्तरदायी होगा।

07. वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण करना :—

- (1) सफल निविदाकार द्वारा संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय के (आउटसोर्स) संचालन या उसमें विक्रय हेतु रखे जाने वाली सामग्री के संबंध में केन्द्र सरकार, राज्य शासन या स्थानीय निकायों के द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों एवं नियमों का पालन करना होगा। यथा सामग्री उपयोग की अंतिम तिथि, अधिमान्य लेखे एवं अभिलेख साफ—सफाई, करों का भुगतान, कर्मचारियों का साप्ताहिक अवकाश एवं उन्हें न्यूनतम पारिश्रमिक आदि का भुगतान आदि।
- (2) सफल निविदाकार एक स्वतंत्र इकाई होगा एवं उसे राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा विन्ध्य हर्बल्स एवं संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय का नाम व लोगो इत्यादि के प्रयोग के लिए नियुक्त किया गया है, अतः संचालक/लीजधारक के स्टाफ के वेतन आदि, देय शुल्क व कर के भुगतान का दायित्व केवल सफल निविदाकार का ही रहेगा।
- (3) सफल निविदाकार को संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय (आउटसोर्स) संचालन के लिये बिक्री कर पंजीयन/शासन से आवश्यक लाइसेन्स अथवा अन्य कोई अनुमति जो भी लागू हो, प्राप्त करनी होगी। लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी—पार्क) इसके लिये कोई दायित्व अथवा व्यय का वहन नहीं करेगा। यह दायित्व पूर्ण रूप से सफल निविदाकार का ही होगा।
- (4) सफल निविदाकार उत्पादों/सेवाओं की गुणवत्ता का रखरखाव पूर्ण सजगता से करेगा। यदि किसी भी समय यह सूचना प्राप्त होती है कि उत्पाद/सामग्री/सेवाएं, जो दी जा रही हैं वह मिथ्या एवं अवैध है और अमानक स्तर की हैं तो यह निविदा की शर्तों का गंभीर उल्लंघन माना जावेगा।

08. संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय में चल या अचल सम्पत्तियों को रखना या निर्माण करना

- (1) सफल निविदाकार को अपने व्यय पर ग्राहकों एवं रोगियों के लिये, यदि आवश्यक हो तो, सभी सुविधाएं (जैसे कुर्सी, बैंच, पेयजल व्यवस्था इत्यादि) विकसित कर जुटानी होंगी।
- (2) सफल निविदाकार संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय (आउटसोर्स) में किसी प्रकार का स्थाई निर्माण या अचल संपत्ति का निर्माण नहीं कर सकेगा।

09. लेखा संधारण, परीक्षण एवं जानकारी उपलब्ध कराना : राज्य लघु वनोपज संघ अथवा लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र (एम.एफ.पी—पार्क) द्वारा सफल निविदाकार द्वारा लीज पर लिये गये संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय (आउटसोर्स) में किसी भी व्यक्ति को लेखा संबंधी बही खाते, रसीदें इत्यादि देखने के लिये अधिकृत कर सकेगा। प्रबंध संचालक, राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा अधिकृत अधिकारी/व्यक्ति सफल निविदाकार के

लेखाओं का परीक्षण भी कर सकेगा। मुख्य कार्यापालन प्रधिकारी, एम.एफ.पी. पार्क बरखेड़ा पठानी, भोपाल द्वारा प्रदाय निर्धारित प्रपत्रों में मासिक जानकारी प्रदाय करना अनिवार्य होगी।

10. नियुक्त लीज धारक संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय (आउटसोर्स) एवं एम.एफ.पी.-पार्क, केन्द्र के परिसर में किसी भी अवैध गतिविधि में लिप्त/संलग्न नहीं होगा। यदि नियुक्त लीज धारक या उसके किसी कर्मचारी को राज्य लघु वनोपज संघ/शासन/शालीनता/सदाचार के विरुद्ध किसी भी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो मुख्य कार्यापालन प्रधिकारी, एम.एफ.पी. पार्क को यह पूर्ण अधिकार होगा कि एक सप्ताह का नोटिस जारी करने के उपरान्त करारनामा निरस्त कर सकें।
11. कार्य न करने की स्थिति में :
 - (I) द्वितीय पक्ष संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय (आउटसोर्स) पर उपलब्ध रहने वाले व्यक्तियों या अमले के नाम उपलब्ध कराएगा। लीजधारक सामान्य साप्ताहिक अवकाश के दिन को छोड़कर अन्य दिनों में मुख्य कार्यापालन अधिकारी, एम.एफ.पी.-पार्क, बरखेड़ा पठानी के पूर्व अनुमोदन उपरान्त ही संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय को बन्द रख सकेगा।
 - (II) यदि द्वितीय पक्ष संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय (आउटसोर्स) का संचालन नहीं करना चाहता है तो वह न्यूनतम तीन माह का नोटिस देकर करारनामा समाप्त कर सकता है। ऐसा होने पर द्वितीय पक्ष को सुरक्षा निधि की पूरी या आंशिक राशि जैसी भी स्थिति उत्पन्न होगी, प्रथम पक्ष द्वारा वापस की जावेगी।
 - (III) द्वितीय पक्ष संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय (आउटसोर्स) एवं एम.एफ.पी.-पार्क के केन्द्र परिसर के अन्दर किसी भी अवैध गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा। यदि नियुक्त लीज धारक या उसके किसी कर्मचारी को राज्य लघु वनोपज संघ/शासन/शालीनता/सदाचार के विरुद्ध अथवा अन्य अनियमितता की किसी भी गतिविधि में लिप्त पाया जाता है तो मुख्य कार्यापालन प्रधिकारी, एम.एफ.पी. पार्क को यह पूर्ण अधिकार होगा कि एक सप्ताह के नोटिस जारी करने के उपरान्त यह करारनामा निरस्त कर सके।

12. विपणन –

विन्ध्य हर्बल उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों की आपसी सहमति से नवीन बिन्दुओं का समावेश एवं करारनामे का पुनरीक्षण आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

13. शास्त्रियां –

यदि द्वितीय पक्ष करार की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है और यदि ऐसे उल्लंघन के कारण मुख्य कार्यापालन प्रधिकारी, एम.एफ.पी. पार्क बरखेड़ा पठानी, भोपाल द्वारा करार को समाप्त करना प्रस्तावित किया जाता है, तो इसके विरुद्ध आदेश जारी होने के 30

दिन की अवधि के भीतर प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य लघु वनोपज संघ, भोपाल को अपील की जा सकेगी। प्रकरण में प्रबंध संचालक, राज्य लघुवनोपज संघ, भोपाल का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा, जोकि दोनों पक्षों को मान्य होगा। निर्णय पर किसी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

- 14. करारनामा समाप्ति** – यदि द्वितीय पक्ष द्वारा अधिनियम, नियमावली अथवा लीजधारक करारनामे की किसी/किन्हीं शर्तों का उल्लंघन करने के परिणामस्वरूप उसके करारनामे को प्रथम पक्ष द्वारा समाप्त किया जाता है, तो

- (1) द्वितीय पक्ष को पांच वर्ष तक की कालावधि के लिए काली सूची में दर्ज किया जा सकेगा।
- (2) तत्काल प्रभाव से संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय भवन को खाली करना होगा।
- (3) द्वितीय पक्ष द्वारा जमा किया गया लीज रेंट वापस नहीं होगा।
- (4) द्वितीय पक्ष द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि को राजसात कर लिया जाएगा।
- (5) यदि भवन/इससे संबद्ध संपत्ति को द्वितीय पक्ष के द्वारा हानि पहुंचाई जाती है तो इसकी मरम्मत व अन्य भरपाई भू-राजस्व संहिता के अंतर्गत वसूल की जायेगी।

- 16. स्टाम्प शुल्क का भुगतान—**

मध्यप्रदेश राज्य में लागू हुये भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 और न्यायालय फीस अधिनियम 1870 और उनके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों का सभी समयों पर द्वितीय पक्ष पालन करने के लिये प्रतिबद्ध होगा।

- 17. न्यायालय की अधिकारिता—**

इस करार के अधीन उद्भूत होने वाला कोई विवाद, भोपाल जिला न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र के अध्याधीन होगा।

जिसके साक्ष्य में, इसमें ऊपर लिखित दिनांक को मुख्य कार्यपालन प्रधिकारी, लघु वनोपज प्रसंस्करण एवं अनुसंधान केन्द्र, (एम.एफ.पी. पार्क) बरखेड़ा पठानी, भोपाल द्वारा ने यहां अपने हस्ताक्षर किये हैं तथा अपने कार्यालय की सील लगाई है और ऊपर नामित द्वितीय पक्ष ने अपने/उनके अपने—अपने हस्ताक्षर एवं सील का अंकन किया गया हैं।

करारनामा पर निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये गये हैं, सील लगाई गई और आज दिनांकको लीजधारकको संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय, परिसर, वन परिसर, बरखेड़ा पठानी, भोपाल को परिदत्त कर दिया है।

साक्षीगण:—

1.
(हस्ताक्षर)

नाम एवं डाक का पूरा पता

2.
(हस्ताक्षर)

प्रथम पक्ष—
नाम एवं डाक का पूरा पता

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में ऊपर नामित लीज ग्राहिता द्वारा हस्ताक्षर किये गये:—

1.
(हस्ताक्षर)

नाम एवं डाक का पूरा पता

2.
(हस्ताक्षर)

नाम एवं डाक का पूरा पता

द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर

नाम —.....

डाक का पता